न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर

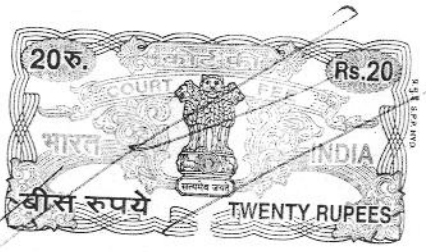

राजीव कशमीरी तनय श्याम नारायण काशमीरी
नूतन बिहारी कॉलोनी ढ़ोगा टीकमगढ

निगराकार

..... **विरूद्ध**

श्रीमति रूकमणि पत्नि दयाकिसन गर्ग
श्रीमति अनीता पत्नि संजय गर्ग
निवासी शिव शक्ति कालोनी टीकमगढ़

प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 संसोधन 2011

प्रस्तुत निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्र. 43/अपील/2013–14 मे पारित आदेश दिनांक 5.03.2014 के विथिथ होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत है

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय इस प्रकार है –

1. यह कि निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है भूमि स्थित ग्राम सुनवाहा तहसील टीकमगढ़ खसरा क्र. 154/1, 154/2, 154/3 जो प्रस्तुत निगरानी में विवाद का आधार है। प्रस्तुत निगरानी मे मूलतः तरमीम का विवाद है जो इस प्रकार है।

2. यह कि भूमि खसरा क्र. 154/2 निगराकार के द्वारा क्रय की गयी भूमि है एवं निगराकार के भाई राकेश कुमार कशमीरी पिता श्याम लाल कशमीरी के द्वारा अलग भूमि 154/1 क्रय की थी एवं अन्य भाई संदीप कशमीरी के द्वारा 154/3 क्रय की गयी थी। मूलतः निगराकार के पिता ने अपने जीवन काल मे ही तीनो पुत्रो को उक्त भूमि क्रय करके दी थी। जिसमें कभी कोई विवाद न रहे वास्ते सभी को मौका कब्जा के अनुसार स्थापित कर राजस्व अभिलेखो मे विवाद रहित प्रक्रिया को लागू करते हुये सामान्य वटवारा कर दिया था। जिसमें रास्ता एवं अन्य निस्तारी भूमि के सामूहिक निर विवाद हेतु तरमीम प्रस्तावित करा दी थी।

3. यह कि निगराकार के भाई राकेश कशमीरी द्वारा अपने हिस्से की भूमि प्रति निकार को विक्रय कर दी जिसका पता निगराकार को नही रहा चूकि भूमि सह दायिक सम्पत्ति थी जो अग्र क्रय अधिकार से शासित थी। जिसका उल्लंघन करते हुये भूमि का विक्रय किया गया जिसमें प्रति

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-974-तीन/2014 जिला - टीकमगढ़ राजीव विरूद्ध रूकमणि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-12-20 18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक राजीव की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 43/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 05-03-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-03-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

20.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य